

राजस्थान-सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक - स. 3 (7) (2) सेवानिवृत्ति/अभि/14/ 8450-92
प्रेषिति -

दिनांक - 12.6.18

निदेशक, पेंशन विभाग
राजस्थान जयपुर।

विषय - दिनांक 01.01.2019 से 30.06.2019 तक सेवानिवृत्त हो रहे मंत्रालयिक कर्मचारियों की सूची जारी करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत अभियोजन विभाग में दिनांक 01.01.2019 से 30.06.2019 की अवधि में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-


क्र०स०	नाम कार्मिक मय पिता का नाम	पद	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	अधिवार्षिक आयु प्राप्त करने की दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	श्री लालूराम मोर्य पुत्र श्री हीरालाल	अति० प्रशा० अधिकारी	सहायक निदेशक अभियोजन-जयपुर II	01.02.59	31.01.2019
2.	श्रीमती दिव्यबाला पत्नी श्री प्रहलाद सोनी	सहा० प्रशा० अधिकारी	अभियोजन निदेशालय जयपुर।	15-1-59	31.1.2019
3.	श्री मुन्नालाल जैन पुत्र श्री रणजीत लाल	वरिष्ठ सहायक	सहायक निदेशक अभियोजन-उदयपुर	12.1.59	31.01.2019
4.	श्रीमती माया देवी गुप्ता पत्नी श्री राधेश्याम	वरिष्ठ सहायक	सहायक निदेशक अभियोजन-करौली	06-01-59	31.01.2019
5.	श्री मांगीलाल राठोड श्री नारायण लाल राठोड	कनिष्ठ सहायक	सहायक निदेशक अभियोजन-झालावाड	12-2-59	28-2-2019
6.	श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री रामसहाय शर्मा	कनिष्ठ सहायक	सहायक निदेशक अभियोजन-अलवर	14-4-59	30-4-2019
7.	श्री सुरेश चंद जैन पुत्र श्री टीकमचंद जैन	अति० प्रशा० अधिकारी	अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर	25-5-59	31.05.2019
8.	श्री हजारी लाल पुत्र श्री पूरण चन्द बंशीवाल	अति० प्रशा० अधिकारी	सहायक निदेशक अभियोजन-दौसा	6.6.59	30.06.2019
9.	श्री बालूराम माली पुत्र श्री मांगी लाल माली	अति० प्रशा० अधिकारी	सहायक निदेशक अभियोजन-भीलवाडा	25.6.59	30.06.2019
10.	श्री राम निवास बैरवा पुत्र श्री गुलाबचंद	सहा० प्रशा० अधिकारी	अभियोजन निदेशालय जयपुर।	15-6-59	30.06.2019
11.	श्री गोपाल सिंह मीणा पुत्र श्री लक्ष्मणराम	वरिष्ठ सहायक	सहायक निदेशक अभियोजन-जयपुर प्रथम	06-06-59	30.06.2019
12.	श्री अशोक कुमार चौबीसा पुत्र श्री गणेशलाल	वरिष्ठ सहायक	सहायक निदेशक अभियोजन-डूंगरपुर	5-6-59	30.6.2019

(रमेश कुमार शर्मा)

निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है -

1. समस्त उप निदेशक अभियोजन/सहायक निदेशक अभियोजन राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूची का सत्यापन कर उनसे संबंधित कार्मिक के यदि सेवानिवृत्त आदेश जारी नहीं हुये हैं या ऐसा कोई कार्मिक जिसका नाम उक्त सूची में नहीं हो तो **कार्मिक के विरुद्ध नियम 16 एवं 17 तथा 19 सी.सी.ए. के अन्तर्गत वर्तमान में कोई विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण, राजकीय बकाया होने/नहीं होने का प्रमाण पत्र, राजकीय आवास आवंटित होने/ न होने का प्रमाण पत्र सहित सेवा पुस्तिका के साथ सेवानिवृत्ति की दिनांक से 06 माह पूर्व प्रकरण आवश्यक रूप से निदेशालय को भिजवाये जावे। स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने वाले कार्मिकों के प्रकरणों में भी उक्त वर्णित तथ्यों सहित कार्मिक का स्वे. सेवानिवृत्ति लेने का कारण, तथा कार्यालयध्यक्ष की उस पर विस्तृत टिप्पणी सहित निर्धारित अवधि में इस निदेशालय को प्रेषित करें, उक्त सूचनाओं के अभाव में अधूरे प्रकरण भिजवाने अथवा देरी से भिजवाने वाले कार्यालयध्यक्षों के खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जावेगी।**
2. रक्षित पत्रावली।


निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर